राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दिनांक 14.04.2020

संख्या एफ/02/07/2020/एस–1/48

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाये रखते हुए विभिन्न उपाय लागू करने में तालमेल पर बल दिया है।

और जबकि, पूर्ण बंदी का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) ने दिनांक 24.03.2020 के आदेश से सभी आवश्यक सेवाओं/प्रतिष्ठानों और वस्तुओं से संबंधित निर्माण/रख–रखाव, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, भंडारण, व्यापार/वाणिज्य और साजो–सामान के निर्यात संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की है।

और जबकि, इसके बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 26.03.2020, 27.03.2020, 28.03.2020 और दिनांक 13.04.2020 को दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट, ज़िला पुलिस उपायुक्त, आयुक्त (व्यापार और कर) को आदेश/अनुदेश जारी किया कि वे सभी थोक व्यापारियों/ऑन लाइन खुदरा व्यापारियों/संचारकों/थोक वितरकों/निर्माताओं/सी एंड एफ एजेंटों को ई–पास/पास/अनुमति पास जारी करें ताकि वस्तुओं की आवा–जाही बनाए रखी जा सके।

अब चूंकि भारत सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में लॉकडाउन 15.04.2020 से 3 मई 2020 तक बढा दिया है।

अब इसलिए, अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम खंड की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्देश देता है कि भारत सरकार द्वारा पूर्ण बंदी अवधि में विस्तार को देखते हुए जिला मजिस्ट्रट/जिला पुलिस उपायुक्त/विभाग प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पास/ई पास/अनुमति पत्र की वैधता जो 14.04.2020 को समाप्त हो

रही थी वह एतद द्वारा 3 मई, 2020 तक बढायी जाती है। इसे जारी करने वाले प्राधिकारियों से पुन मान्य कराने की आवश्यकता नही है।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष।
2. सभी जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली
3. सभी जिला पुलिस उप–आयुक्त, दिल्ली

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. अपर सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
6. मंडलीय आयुक्त–एवं–प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
7. सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), दिल्लीं।
8. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
9. एसआईओ, एनआईसी को, इस अनुरोध के साथ कि इस रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

–––––